भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1458

उत्तर देने की तारीख: 01.07.2019

मुक्त विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की जाने वाली डिग्री

1458. श्री विनायक भाऊराव राऊतः
डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडेः
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदेः
कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देलः
श्री श्रीरंग आप्पा बारणेः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या एक मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा दूरस्थ शिक्षा के कार्यक्रम या किसी अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के तहत प्रदान की जाने वाली स्नातक, परास्नातक, पीएचडी या एमफिल की डिग्री औपचारिक परंपरागत मान्यताप्राप्त विश्व-विद्यालयों द्वारा अभ्यर्थियों को प्रदान की जाने वाली ऐसी डिग्रियों के समकक्ष है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(घ) क्या देश में मुक्त विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की जाने वाली डिग्री की विश्वसनीयता में सुधार करने की आवश्यकता है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा मुक्त विश्वविद्यालयों की विश्वसनीयता में सुधार करने के लिए कौन-सी योजना बनाई गई है?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री

(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) से (ग): महोदय। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), मुक्त और दूरस्थ अध्ययन (ओडीएल) विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की गई डिग्री की परंपरागत विश्वविद्यालयों के समकक्ष उनकी समकक्षता के संबंध में समय-समय पर पत्र/परिपत्र/सार्वजनिक सूचना जारी

करता है, जो यूजीसी की वेबसाइट www.ugc.ac.in/deb पर उपलब्ध हैं। तदनुसार यूजीसी (मुक्त और दूरस्थ अध्ययन विनियम, 2017) के अनुरूप मुक्त विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की गई सभी उपाधियां मान्यताप्राप्त उपाधियां हैं।

(घ) और (ड.): विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने मुक्त विश्वविद्यालयों में शिक्षा के मुक्त और दूरस्थ अध्ययन पद्धति में गुणवत्ता और मानकों को बनाए रखने के दृष्टिगत यूजीसी (मुक्त और दूरस्थ अध्ययन) विनियम, 2017 अधिसूचित किया है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) ने मुक्त विश्वविद्यालयों के लिए गुणवत्ता आश्वासन कार्यढ़ांचा भी बनाया है। ''मुक्त विश्वविद्यालयों के लिए स्व-अध्ययन रिपोर्ट हेतु नियम पुस्तिका'' एनएएसी की वेबसाइट http://www.naac.gov.in/images/docs/mannuals/ODL-Mannual-13.06.2019.pdf पर उपलब्ध है। इसमें मुक्त विश्वविद्यालयों के एनएएसी मूल्यांकन हेतु पद्धति दी गई है। सरकार ने 2018 में राजपत्र अधिसूचना भी जारी की है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि मुक्त विश्वविद्यालयों की उपाधियां रोजगार के लिए मान्यता प्राप्त हैं, यदि वे, जहां भी आवश्यक हो, यूजीसी/एआईसीटीई जैसे विनियामकों के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। (प्रति संलग्न)

*****